

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/244
दिनांक : 21.04.2018

सेवा में,
सचिव,
बी०डी०एस० गुरुकुल ऑफ एजुकेशन,
सेक्टर-8, जागृति विहार, मेरठ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 25.09.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/1478 दिनांक 11.07.2014 अनुमोदित प्राचार्य की समयावधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है। जिनका विवरण निम्नवत् है:-

<u>S.N.</u>	<u>Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1.डॉ०	अजय कुमार शर्मा	प्राचार्य	एम०ए०, एम०एड० एम०फिल०, पी०एच०डी० (10)	डॉ० वाई०पी० सिंह एन०आर०ई०सी० कालेज, खुर्जा बुलन्दशहर। डॉ० एम०पी० त्यागी सी०एस०एन०एस०एस० पी०जी० कालेज, माछरा। डॉ० डी०के० शर्मा के०के० जैन कालेज, खतौली

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को प्राचार्य पद पर शासन/यू०जी०सी०/एन०सी०टी०ई०/बी०सी०आई०/एम०सी०आई०/एन०सी०आई०/सी०सी०आई०एम०/ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे, प्राचार्य के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित अभ्यर्थी के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

010

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3399
दिनांक : 22.11.2023

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य,
बी०डी०एस० गुरुकुल ऑफ एजुकेशन,
सैक्टर-8, जागृति विहार, मेरठ।
250001

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 31.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/2978 दिनांक 07.08.2019 के द्वारा अनुमोदित असिस्टेंट प्रोफेसर की समयावधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

<u>S.N.</u>	<u>Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1-	Dr. Rekha Sharma	Asst. Prof.	M.A. (Hin.) B.Ed. M.Ed. Ph.D. (15)	Dr. Sangeeta Srivastava D.A.V. College, MZN Dr. Indraini VMLG College, GZB

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 13.03.2020 एवं मा० कार्यपरिषद की आहूत बैठक दिनांक 29.03.2022 के संकल्प संख्या 11 में पारित आदेशों के अनुपालन में महाविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत जो पाठ्यक्रम, जब तक संचालित रहेंगे, तब तक उक्त पाठ्यक्रम में कार्यरत शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाया आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा० कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 13.03.2020 एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आहूत बैठक दिनांक 29.03.2022 में पारित निर्णय के अलोक में आपका उपरोक्त वर्णित पत्र निस्तारित किया जाता है।

भवदीय

प्रधान सहायक (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/7452
दिनांक : 10.9.2020

सेवा में,
सचिव,
बी०डी०एस० गुरुकुल ऑफ एजुकेशन,
सेक्टर-08, जागृति विहार, मेरठ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 14.07.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

<u>S.N.</u>	<u>Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1-	Dr. Renu	Asst. Prof.	M.Ed. NET (09) Ph.D. (17)	Dr. Rachna Pathak N.A.S. College, Meerut Dr. Shalini Tyagi Meerut College, Meerut

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/यू०जी०सी०/एन०सी०टी०ई०/बी०सी०आई०/एम०सी०आई०/एन०सी०आई०/सी०सी०आई०एम०/ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3426
दिनांक : 22.2.2016

सेवा में,
चेयरमैन,
बी०डी०एस० गुरुकुल ऑफ एजुकेशन,
सेक्टर-8, जागृति विहार
मेरठ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 30.11.2015 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आपने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रवक्ता पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

<u>S.N.</u>	<u>Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1-	Shivani Gupta	Lecturer	B.P.Ed.,M.P.Ed	Dr.Virendra Kumar Meerut College, Meerut Dr.Yogendra Singh MMH College, Ghaziabad
2-	Lavi Tyagi	Lecturer	B.P.Ed.,M.P.Ed	—do—
3-	Meenakshi Gupta	Lecturer	M.A.(Drg.&Ptg.)	Dr.Usha Kiran Meerut College, Meerut Dr.Jyotsna KLM, Meerut
4-	Himani	Lecturer	M.A.(Drg.&Ptg.)	—do—

सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ द्वारा प्रवक्ता पद हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों की संस्तुति की गयी है। विषय विशेषज्ञ की संस्तुति एवं विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर कुलपति जी के आदेशानुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों को एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार प्रवक्ता पद पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/4579
दिनांक : 13/12-2019

सेवा में,
सचिव,
बी०डी०एस० गुरुकुल ऑफ एजुकेशन,
मेरठ।


महोदय,


कृपया अपने पत्र दिनांक 07.11.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

<u>S.N. Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1-Yogesh Kumar	Asst. Prof.	B.Ed. M.Ed. NET (17)	Dr. Rachna Pathak N.A.S. College, Meerut Dr. Shalini Tyagi Meerut College, Meerut
2- Vijay Bahadur Yadav	Asst. Prof.	B.Ed. M.Ed. NET (13)	----- do -----
3- Dileep Kumar	Asst. Prof.	B.Ed. M.Ed. NET (13)	----- do -----
4- Ajeet Kumar	Asst. Prof.	B.Ed. M.Ed. NET (13)	----- do -----
5- Chandra Prakash	Asst. Prof.	B.Ed. M.Ed. NET (13)	----- do -----
6- Kuldeep Kumar	Asst. Prof.	B.Ed. M.Ed. NET (18)	----- do -----
7- Diwesh Kumar	Asst. Prof.	B.Ed. M.Ed. NET (14)	----- do -----
8- Santosh Kr. Singh	Asst. Prof.	B.Ed. M.Ed. NET (14)	----- do -----
9-Dr. Ravindra Kr. Sharma	Asst. Prof.	B.Ed. M.Ed. Ph.D. (17)	----- do -----
10- Ramesh Kumar	Asst. Prof.	B.Ed. M.Ed. NET (13)	----- do -----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/ यू०जी०सी०/ एन०सी०टी०ई०/ बी०सी०आई०/ एम०सी०आई०/ एन०सी०आई०/ सी०सी०आई०एम०/ ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार तीन वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय


सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / 3656
दिनांक : 11.12.2023

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य,
बी०डी०एस० गुरुकुल ऑफ एजुकेशन,
मेरठ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 14.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Dr. Ajay Pal Singh	Asst. Prof.	M.Ed, Ph.D.	Dr. Suchitra Sharma N.A.S. College, Meerut Dr. Rekha Rana Meerut College, Meerut
2-	Gauri Shanker	Asst. Prof.	M.Ed, NET	----- do -----
3-	Mohar Singh	Asst. Prof.	M.Ed, NET	----- do -----
4-	Mr. Satish Babu	Asst. Prof.	M.Ed, NET	----- do -----
5-	Bharat Bhushan	Asst. Prof.	M.Ed, NET	----- do -----
6-	Krishan Gopal	Asst. Prof.	M.Ed, NET	----- do -----
7-	Sachin	Asst. Prof.	M.A. (Edu.), NET	----- do -----
8-	Ms. Sangeeta Juyal	Asst. Prof.	M.Ed, NET	----- do -----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन/यू०जी०सी०/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाना आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा० कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

प्रधान सहायक (सम्बद्धता)